

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-03-01-2021-1-पांच (12).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 14 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-03-01-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-01-2021-1-पांच (12), दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F-A 3-01-2021-1-V(12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act (Amendment) Act, 2020 (19 of 2020), (hereafter referred to as the said Act), the State Government, hereby appoints the 1st day of January, 2021, as the date on which the provisions of Sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 14 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.